भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 215

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

***215. श्री जी. सेल्वम:**
प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का संशोधन करके कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना में कर्मचारी तथा नियोजक के अंशदान को कम करने का विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे तथा इस संबंध में प्रस्तावित कमी सहित इस कदम के पीछे क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उक्त प्रस्ताव का घोर विरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा ईएसआई योजना के अंतर्गत और अधिक लोगों को लाने के लिए कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त कमी से कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी आने की संभावना है और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इससे कर्मचारियों को कोई लाभ होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में श्री जी. सेल्वम एवं प्रो. सौगत राय द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 215 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं पर भार को कम करने, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कवरेज के साथ-साथ अनुपालन में सुधार करने तथा व्यवसाय करने को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु दिनांक 01.07.2019 से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की दर को 6.5 प्रतिशत (कर्मचारी को देय वेतन के 4.75 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 1.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान) से घटाकर 4 प्रतिशत (3.25 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 0.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान) किया गया है।

(ग): कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु प्रस्ताव दिनांक 16.02.2018 को आयोजित 173वीं बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष रखा गया था जिसमें इस मुद्दे की जांच करने के लिए नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति ने ईएसआई अंशदान की दर को कम करके 5 प्रतिशत (4 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 1 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान) करने की सिफारिश की थी। उप-समिति की रिपोर्ट को दिनांक 18.09.2018 को आयोजित 175वीं बैठक में निगम के समक्ष रखा गया था। निगम ने अध्यक्ष, ईएसआईसी को प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार करने तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए भी प्राधिकृत किया। तत्पश्चात्, निगम की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम/श्रम एवं रोजगार मंत्री ने अंशदान की दर को ओर अधिक घटाकर 4 प्रतिशत (3.25 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान तथा 0.75 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान)करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। घटी हुई दर 01.07.2019 से प्रभावी है।

(घ): महाराष्ट्र राज्य के बीमित व्यक्तियों सहित अन्य सभी बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लाभों में कोई परिवर्तन/नुकसान नहीं होगा। बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य आदिनांक विद्यमान सभी लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

(ङ): अंशदान की दर में इस कमी के कारण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों को पूर्व में भुगतान किए जा रहे अपने कुल वेतन के 1.75 प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक आय होगी।

****